सं.जे-11013/7/2022-एफएम

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए'विंग, शास्त्री भवन

नई दिल्ली-110001

****

24 फरवरी, 2022

**एडवाइजरी**

जबकि यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कई एफएम रेडियो चैनलों पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री का अक्सर प्रसारण किया जाता है। यह भी देखा गया है कि कई रेडियो जॉकी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अशिष्ट, दोहरे अर्थ वाली और अपमानजनक होती है। वे अक्सर मानहानिकारक और अपमानजनक टिप्पणी करते हैं जो अशोभनीय प्रतीत होती हैं।

जबकि अनुमति मंजूरी करार (जीओपीए) के खंड 7.6 में प्रावधान है कि अनुमति धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रसारण चैनल से प्रसारित कोई भी सामग्री, संदेश, विज्ञापन या सूचना, भारत के कानूनों के अनुसार आपत्तिजनक, अश्लील, अनधिकृत या असंगत नहीं है।

जबकि जीओपीए के खंड 11.1 में प्रावधान है कि अनुमति धारक समय समय पर यथा संशोधित आकाशवाणी द्वारा पालन किए जाने वाले कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता या कोई अन्य लागू संहिता, जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर निर्धारित करें, का पालन करेगा।

जबकि इस प्रकार की सामग्री को प्रसारित करना भारत सरकार के साथ एफएम रेडियो चैनलों द्वारा हस्ताक्षरित जीओपीए के खंड 7.6 और 11.1 का घोर उल्लंघन है।

और जबकि जीओपीए के खंड 25.3 में उल्लिखित है कि, अनुमति धारक द्वारा अनुमति के किसी निबंधन और शर्तों या एफएम रेडियो नीति के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करने की स्थिति में, प्रदाता को अनुमति के निलंबन के लिए मंजूरी और प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने, जैसाकि उसमें निर्धारित है, का अधिकार होगा।

अब, इसलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, एतदद्वारा जीओपीए से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी एफएम रेडियो चैनलों को उसमें निर्धारित निबंधन और शर्तों का सख्ती से पालन करने और उसका उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को प्रसारित नहीं करने की सलाह देता है। सभी चैनलों को ऐसी सामग्री के प्रसारण में विवेक और संयम का प्रयोग करना चाहिए।

सभी एफएम रेडियो चैनलों द्वारा उपरोक्त निदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में जीओपीए में निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार जो भी उचित समझे, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

योगेन्द्र त्रेहन

(योगेंद्र त्रेहन)
अपर निदेशक

सभी एफएम रेडियो चैनलों को

प्रतिलिपि प्रेषित:-
महासचिव,
भारतीय रेडियो संगठन का संघ(एआरओआई),
प्लॉट नं-29, पॉकेट नं 4, सेक्टर-23 बी, द्वारका,
नई दिल्ली-110077